समक्ष कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पस्थित : बी0 राम शास्त्री, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रा0प0सं0:01/13 अन्तर्गत धारा-59 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008

प्रार्थी सर्वश्री व्हील्स इण्डिया लि0 , 22 के एम, रामपुर टाण्डा रोड, पो0टाण्डा बादली, जिला- रामपुर ।

प्रार्थी की ओर से श्री शशी कान्त शर्मा, डिप्टी मैनेजर एकाउन्ट ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

आवेदक फर्म द्वारा अपना आवेदन पत्र दिनांक 07-01-2013 जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 16-01-2013 को प्राप्त है, के अन्तर्गत निम्न प्रश्न को निर्णीत करने का अनुरोध किया गया है :-

Can we implement re-classification of our products (Wheels made of Iron and Steel), as Declared Goods, as defined under Section 14 of the CST Act, and apply new rate of tax? Please determine and oblige.

2- संक्षेप में आवेदक फर्म का अभिकथन है कि वे वैट ऐक्ट की धारा-17 के अन्तर्गत पंजीकृत सम्व्यवहारी हैं और उनका टिन नम्बर- 09160800143 दिनांक 23-07-1984 है । वे ट्रैक्टर्स के लिए पहिए, उनके पार्टस तथा एसेसरीज के निर्माता हैं और दिनांक 17-11-2009 से उन्होंने हैवी तथा लाइट कामर्शियल Vehicle के पहिए बनाना प्रारम्भ किया है, जिसे वे टाटा मोटर्स लि0, लखनऊ, अशोक लीलैण्ड लि0, रुद्रपुर तथा वी.ई. कामर्शियल मोटर्स लि0 प्रीथमपुर को आपूर्ति करते हैं । पहियों के निर्माण के लिए वे स्टील अर्थार्टी आफ इण्डिया, कानपुर, टाटा स्टील्स,लि0, भूषण स्टील्स लि0 तथा एच.आर. क्वायल से लोहा क्रय करते हैं। उक्त पहिए के निर्माण के लिए रिम तथा डिस्क अलग बनाकर उन्हें संयोजित करके बिक्रय किया जाता है। उक्त पहिया केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 की धारा-14 की उपधारा-4 के उपक्रमांक-14 के अनुसार घोषित वस्तुओं के अन्तर्गत आता है किन्तु उत्तर प्रदेश में वैट ऐक्ट की अनुसूची -5 में समाहित, अवर्गीकृत श्रेणी के अन्तर्गत रखते हुए इस पर 12.5+1.5 प्रतिशत की करदेयता नियत की गयी है जबकि देश के अन्य राज्यों यथा हरियाणा, तमिलनाडु आदि में जहाँ उनकी यूनिट कार्यरत हैं, पर 4 प्रतिशत की ही करदेयता विनिश्चित की गयी है । अत: उत्तर प्रदेश में भी इसे तदनुसार घोषित वस्तु मानते हुए 4 प्रतिशत की करदेयता में रखने हेतु अभिनिर्णय प्रदान किया जाय। क्योंकि आवेदक फर्म वाणिज्य कर जोन मुरादाबाद में पंजीकृत है, अत: प्रकरण में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, जोन मुरादाबाद से उनकी आख्या दिनांक 12-3-2013 प्राप्त की गयी है जो पत्रावली पर रखी गयी है। आवेदक फर्म की ओर डिप्टी मैनेजर एकाउन्ट श्री शशी कान्त शर्मा उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया ।

3- श्री शर्मा द्वारा फर्म के उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में तर्क किया गया कि उनकी फर्म की अन्य यूनिट जो देश के अन्य राज्यों में हैं, के द्वारा अपने उत्पाद पर 4 प्रतिशत की दर से ही कर दिया जा

रहा है। अत: उत्तर प्रदेश में भी इस पर 4 प्रतिशत की दर से ही कर लिया जाना उचित है । श्री शर्मा ने फर्म द्वारा बनाये जाने वाले कामर्शियल व्हील का एक नमूना भी अवलोकित कराया जिसमें रिम के एक किनारे पर डिस्क भी लगी हुई पायी गयी। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, जोन मुरादाबाद की आख्या दिनांक 12-3-2013 के अन्तर्गत फर्म के प्रार्थना पत्र को ग्राह्य न बताते हुए कहा गया है कि वैट ऐक्ट के शिड्यूल-2 के आयरन एण्ड स्टील की प्रविष्टि में कामर्शियल Vehicle Wheels Rim सम्मिलित नहीं है। फर्म द्वारा 12.5+1.5 की दर से कर वसूल करके जमा किया जा रहा है और फर्म के वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के वार्षिक रिटर्न प्रपत्र-26 दाखिल हो चुके हैं जिनमें फर्म द्वारा तदनुसार कर एवं अतिरिक्त करदेयता स्वीकार की गयी है। फर्म के कर निर्धारण का मामला कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को धारा-59 की परिधि के बाहर होना कहा गया है। फर्म का कर निर्धारण वाद सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने का तथ्य श्री शर्मा द्वारा स्वीकार किया गया ।

4- इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि फर्म के वर्ष 2009-10 से कर निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है और कर निर्धारण वाद कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं । यह भी निर्विवादित है कि उक्त कर निर्धारण की कार्यवाही में प्रस्तुत किये गये वार्षिक रिटर्न आकार पत्र-26 में फर्म द्वारा अपने उत्पाद कामर्शियल Vehicle Wheels Rim पर 12.5 प्रतिशत कर एवं 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर की देयता स्वीकार करते हुए कर की अदायगी की गयी है जिस पर परीक्षणोपरान्त कर निर्धारक अधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जाना है। अत: स्पष्ट है कि आवेदक फर्म द्वारा उठाया गया प्रश्न कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है ।अधिनियम की धारा-59 के अनुसार किसी न्यायालय अथवा वैट अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न किसी प्रसंग पर सम्बन्धित व्यक्ति या सम्व्यवहारी द्वारा निर्णय हेतु कमिश्नर वाणिज्य कर को प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है क्योंकि कर निर्धारण की कार्यवाही के क्रम में प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। अत: फर्म द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र वास्तव में ग्राह्य नहीं है।

5- अत: उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत आवेदन पत्र धारा-59 की परिधि के परे होने के कारण ग्राह्य न होने की स्थिति में अस्वीकार किया जाता है ।

6- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7- उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाये ।

मार्च , 28, 2013

ह0 / 28.03.2013

(बी0राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।